

काशी तथा वाराणसी का यात्राएँ

जिस प्रकार समय-समय देवालियों के माहात्म्य में परिवर्तन होते रहे हैं, उसी प्रकार यात्रा-क्रम भी बराबर बदलता रहा है। इसके कई कारण थे। प्राचीन काल में काशी-क्षेत्र का जो स्वरूप था, उसमें निरन्तर परिवर्तन हो रहे थे तथा बहुत से जलाशय तथा सरोवर उथले होते-होते प्राकृतिक कारणों से सूख गये। नगर की जनसंख्या निरन्तर बढ़ने तथा अन्य कारणों से नये-नये मोहाल बसते जा रहे थे, जिनके कारण तीर्थों के मार्ग बदलने पड़े। इसके बाद मुसलमानों के आक्रमण और अन्ततोगत्वा उनकी विजय से एक और कठिनाई उत्पन्न हुई। राजघाट के किले के आसपास जो नगर था, वह इ स युद्ध में नष्ट-भ्रष्ट हो गया और वहाँ के निवासियों को अन्यत्र जाकर बसना पड़ा। साथ-ही-साथ मुसलमान शासकों के आवास नये-नये स्थानों पर बनते रहे और इस प्रकार नये-नये मुसलमानी मुहल्ले बसने लगे। जो तीर्थ इन स्थानों में पड़ गये, उनकी यात्रा असम्भव नहीं तो कठिन तो अवश्य हो गई। जब कभी कोई दयालु शासक आया, तब कदाचित् कुछ सुविधा मिली, अन्यथा धार्मिक असहिष्णुता तथा अत्याचार सन् १११७ ई० के बाद निरन्तर चलते रहे। बारम्बार मन्दिरों और देवालियों के टूटने का भी प्रभाव पड़ता रहा। इन सब कारणों से तीर्थयात्रा-क्रम में बड़े-बड़े परिवर्तन हुए, परन्तु यह सब होते हुए भी यात्राओं का प्राचीन ढाँचा अब भी जैसे-का-तैसा वर्तमान है, यद्यपि इसमें कहीं-कहीं भ्रम होने लगा है।

काशी में पंचदेव-पूजन की परम्परा सदैव ही रही है। केवल एक देवता का पूजन करनेवालों की संख्या प्रायः नगण्य ही दीख पड़ती है। तपस्वियों के अतिरिक्त प्रायः सभी लोग यहाँ पंचदेव-पूजन करते आये हैं। यह परम्परा तीर्थयात्राओं में भी स्पष्ट रूप में वर्तमान है।

यात्राओं में कुछ नैतिक, अर्थात् नित्य करनेवाली है और कुछ नैमित्तिक, अर्थात् विशेष अवसरों तथा पर्वों पर होती है। नित्य की यात्राओं में भी शारीरिक शक्ति तथा समय की उपलब्धि का ध्यान रखना पड़ता है और इ स प्रकार छोटी-बड़ी सभी प्रकार की यात्राओं का वर्णन तथा उनका क्रम पुराणों और परम्पराओं में मिलते हैं। काशीवास करने वाले लोग, जिनको धार्मिक कृत्यों तथा यात्राओं के लिए अधिक समय उपलब्ध था, बड़ी यात्राएँ करते थे। अन्य लोग छोटी यात्राओं में ही सन्तोष कर लेते थे परन्तु, कोई-न-कोई यात्रा प्रतिदिन आवश्यक मानी जाती थी और धर्मप्राण काशीवासी उसको आज भी अनिवार्य मानते हैं। काशीखण्ड १ में कहा गया कि -

न वन्ध्यं दिवसं कुर्याद्विना यात्रां क्वचित्कृती^१

अर्थात्, ऐसा दिन कोई नहीं होना चाहिए, जिस दिन कोई भी यात्रा न की गई हो। स्वयं यात्रा न कर सके, तो प्रतिनिधि द्वारा कराने की भी व्यवस्था है और वह भी सम्भव न हो, तो यात्रा के निष्क्रय-स्वरूप संकल्पपूर्वक जल-कुम्भ तथा मिष्टान-दान करने से भी काम चल सकता है। यहां यह विचार करने की बात है कि यात्रा पर इतना बल क्यों दिया गया है। यात्रा से पुण्यप्राप्ति तथा आचार-व्यवहार में उत्तमता प्राप्त होने के विषय में पहले ही विवेचना की जा चुकी है। नियमित एवं अनुशासित जीवन तीर्थवास तथा यात्राओं के लिए अनिवार्य है और सात्विक कालयापन से बुद्धि और विचारों में सात्विकता आती ही है। तीर्थ में रहकर तीर्थ के देवताओं की वन्दना से मनोविकार दूर होने में सहायता मिलती है और जीवन में सत् का सन्निवेश तथा असत् से निवृत्ति होने के अवसर आते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण में पंचकोश-यात्रा के सम्बन्ध में जो नियम कहे गये हैं, उन पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जायगी। नियम इ स प्रकार हैं - यात्राकाल में प्रतिग्रह, अर्थात् दान लेना, दूसरे का अन्न खाना, परस्त्री से अभिलाषापूर्वक सम्भाषण, परद्रव्य-ग्रहण, असत्य-भाषण एवं दुर्जनों से दूर रहना, मन को कुमागों में नहीं जाने देना, केवल सात्विक भोजन करना और वह भी एक ही बार, रागरंग तथा मादक द्रव्यों से बचना, पृथ्वी पर सोना एवं जूता पहनकर और छाता लगाकर नहीं चलना चाहिए इत्यादि। इस प्रकार की तपस्या की परम्परा में कालयापन करने से अन्तःकरण की शुद्धि अवश्य ही होती है और तीर्थों की अर्चना से उनकी परिपुष्टि

वाराणसी वैभव या काशी वैभव - सुनील कुमार झा

स्वाभिक ही है।

नित्य करनेवाली यात्राओं में निम्नांकित यात्राओं का वर्णन पुराणों में मिलता है और उनकी रूढ़ि आज भी काशी के जनजीवन में वर्तमान है।

1. नित्य यात्रा अथवा अनुक्रम यात्रा
2. अन्तर्गृह-यात्रा
3. उत्तरदिक्-यात्रा (उत्तर मानस-यात्रा)
4. दक्षिणादिक्-यात्रा (दक्षिण मानस-यात्रा)

इनके अतिरिक्त, एक तीर्थ से पंचतीर्थों यात्राओं तक का भी वर्णन है। एकायत से चतुर्थश आयतन तक की और उनके संयोग से बयालीस आयतनों की यात्राओं का विधान है। इन यात्राओं का विधान है। इन यात्राओं के साथ-साथ विघ्नकर्ता विनायकों तथा क्षेत्र की चण्डिकाओं की यात्रा भी काशीवास में विघ्नों के निवारण के लिए कही गई है।

प्राचीनता की दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि बारहवीं शताब्दी ईसवी में निम्नांकित नैत्यिक यात्राओं का विशेष चलन था -

1. चतुर्दशायतन यात्रा;
2. अष्टायतन यात्रा;
3. पंचायतन यात्रा;
4. त्रिकण्टक यात्रा तथा
5. अडंग यात्रा

इनके साथ ललिता (मंगला गौरी) यात्रा तथा नवदुर्गा-यात्रा की भी प्रथा थी। चण्डिका यात्रा और विघ्नकर्ता विनायकों की यात्रा भी आवश्यक समझी जाती थी, विशेषतः उन लोगों के लिए, जो काशीवास करना चाहते थे, या तो तीर्थसन्यास लेते थे। इन यात्राओं का संकेत तथा वर्णन 'कृत्यकल्पतरु' में उद्धृत पुराणों के वाक्यों से प्राप्त होता है। काशीखण्ड में इनका तथा कुछ अन्य यात्राओं का भी उल्लेख है। हम कह चुके हैं कि काशीखण्ड में काशी का ही वर्णन है, अतः उसमें काशी के तीर्थों तथा तत्सम्बन्धी सभी बातों का अत्यन्त विस्तृत विवेचन किया गया है। छोटी-बड़ी सभी बातें बताई गई हैं। इसके विपरीत अन्य पुराणों में विशिष्ट तीर्थों तथा विषयों का ही वर्णन पाया जाता है। काशीखण्ड में भी प्रारम्भ में विस्तारपूर्वक वर्णन करने के बाद अन्तिम अध्यायों में उनके सारांश तथा समीक्षा के स्वरूप में विशिष्ट विषयों का वर्णन पुनः कर दिया गया है। इस प्रकार, यात्राओं के विषय में भी अन्तिम अध्याय में महत्त्वपूर्ण यात्राओं का उल्लेख है। इ समें भी ऊपर कही हुई नित्य यात्रा अथवा दैनन्दिनी यात्रा, विश्वेश्वरी यात्रा, दो प्रकार की चतुर्दश आयतन यात्रा, अष्टायतन यात्रा, एकादश लिंग यात्रा, नवगौरी यात्रा, विघ्नेश यात्रा, भैरव-यात्रा, रवियात्रा, चण्डी यात्रा, अन्तर्गृह-यात्रा, कुलस्तम्भ-यात्रा तथा एकायतन यात्रा का वर्णन है। इनमें से चतुर्दशायतन यात्रा, अष्टायतन यात्रा, नवगौरी-यात्रा, विघ्नेश यात्रा, भैरव-यात्रा, चण्डीयात्रा, कुलस्तम्भ-यात्रा अपने-अपने समय पर होती हैं, परन्तु दैनन्दिनी तथा अन्तर्गृह-यात्रा नैत्यिक, अर्थात् नित्य करने वाली है। एकादशायतन यात्रा के विषय में स्पष्ट कालनिर्देश न होने से उसकी भी नैत्यिक ही मानना उचित प्रतीत होता है। यदि इ स नित्य करनेवाली यात्रा में कोई असमर्थ हो, कम-से-कम एकायतन यात्रा, अर्थात् गंगास्नान तथा विश्वेश्वर-पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। विशेष अवसरों पर होनेवाली यात्राओं में से कुछ का उल्लेख ऊपर हो चुका है, परन्तु इनकी संख्या बहुत बड़ी है।

© Copyright IGNC, Sunil Jha

All rights reserved. No part of this may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing.